नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु ज़िला न्यायालय अमरोहा में स्थित शेष दुकानों/स्टालों के ठेको की नीलामी की कार्यवाही खुली बोली के आधार पर दिनांक 16.04.2021 को ज़िला न्यायालय अमरोहा स्थित वीडियो कान्फ्रेन्स रूम में समय शाम 04:00 बजे की जानी है। ज़िला न्यायालय अमरोहा में स्थित दुकानों/स्टालों तथा नीलामी की शर्तो का विवरण निम्न प्रकार है:–

क0स0	दुकान/स्टाल का नाम	धरोहर धनराशि	वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये निर्धारित की गयी न्यूनतम धनराशि
1	भोजनालय	37576	365760/–
2	फोटो स्टेट–1	222990/–	2229900/–
3	फोटोग्राफी	25531/–	255310/–
4	पान स्टाल–1	8535/–	85350/–
5	जूस स्टाल	18755/–	187550/–
6	मिल्कबार	3025/–	30250/–
7	स्टेशनरी स्टाल	777/–	7772/–
8	क्म्प्यूटर टाईपिंग	15015/–	150150/–
9	पान स्टाल–2	8470/–	84700/–
10	फोटो स्टेट–2	20570/–	205700/–

नीलमी की शर्ते व नियम निम्न प्रकार होंगे:.

1 – ठेके की अवधि वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु दिनांक 31 मार्च, 2022 तक होगी।

2 – नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति दिनांक 16.04.2021 को दोपहर 02:00 बजे तक धरोहर धनराशि जमा कर सांय 04:00 बजे तक नीलामी में सम्मिलित हो सकते है।

3 – न्यायालय परिसर में नशीली व अन्य अवैध वस्तुऐं नहीं बेची जायेंगी।

4 – प्रत्येक खाद्य वस्तु मानक के अनुसार ही होनी चाहिए। मानक के अनुरूप न होनें पर ठेका निरस्त करनें का सम्पूर्ण अधिकार जिला न्यायाधीश, अमरोहा को प्राप्त होगा।

5 – ठेकेदार बिजली, पानी तथा अन्य सभी व्यवस्थाए एवं अस्थाई निर्माण की व्यवस्था स्वयं करेंगें।

6 – ठेके से सम्बन्धित किसी भी विवाद पर जिला न्यायाधीश महोदय का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

7 – नीलामी ठेका पक्ष में होनें पर ठेकेदार को नियमानुसार 100 रू० के स्टाम्प पर ठेकानामा लिखना होगा उसे इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा समय-समय पारित होनें वाले आदेशों का पालन करना होगा।

8 – ठेकेदार ऐसे दो व्यक्तियों को जमानतदार के रूप में नाम पता मय परिचय पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा जो , ठेकेदार द्वारा समय पर धनराशि न जमा करनें पर उन जमानतदारों से धनराशि को वसूली की जायेगी।

9 – यदि बोलीदाता एक से अधिक दुकान / स्टॉल की बोली में भाग लेना चाहता है तो उसे प्रत्येक दुकान/ स्टॉल के लिए अलग– अलग धरोहर राशि जमा करनी होगी। यदि ठेकेदार को ठेका नहीं मिलता है तो उसके द्वारा जमा की गई धनराशि वापस कर दी जाएगी तथा ठेका मिलने पर जमानत धनराशि वित्तीय वर्ष 2021- 22 के

Preeti
03/04/2021

पूर्ण होने पर तथा दुकान /स्टाल का कब्जा नजारत अनुभाग को वापस करने पर नियमानुसार वापस कर दी जाएगी।

10 – ठेका अवधि पूर्ण होनें पर दिनांक 31 मार्च, 2022 को अपना सामान ठेकेदार स्वयं हटायेंगे और भूमि का कब्जा प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय अमरोहा को देगें।

11 – प्रत्येक ठेकेदार को ठेके की धनराशि का 25 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप में तुरंत जमा करना होगा तथा शेष धनराशि प्रत्येक त्रैमास के प्रथम स्प्ताह में जमा करनी होगी।

12 – आपराधिक व अवांछित प्रवृत्ति, पूर्व में ठेके की किश्त न जमा करनें वाले व्यक्तियों तथा ऐसे व्यक्तियों के जमानतियों का बोली में भाग लेना वर्जित है। ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आने पर जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा किसी भी समय बिना नोटिस दिए ठेके को निरस्त किया जा सकता हैं।

13 – प्लास्टिक, पाँलिथीन व धूम्रपान की वस्तुएं व ज्वलनशील पदार्थ बेचना जिला न्यायालय परिसर में पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

14 – प्रत्येक वस्तु की मूल्य सूची ठेकेदार द्वारा केन्द्रीय नजारत अनुभाग को उपलब्ध करानी होगी।

Preeti 03/04/2021

(प्रीति गिरी)
सदस्य
नीलामी समिति/
सिविल जज जू0डि0, अमरोहा।